विचार बिन्दु

आत्मा ही अपना स्वर्ग और नरक है। –उमर खैयाम

मीडिया की जवाबदेही और उच्चतम न्यायालय के आदेशों का प्रवर्तन

हम में हमारे देश के संविधान पर गर्व है, साथ ही देश के उच्चतम न्यायालय की न्याय व्यवस्था पर भी पूरा विश्वास है। अमरीका में न्यायाधीश चुने जाते हैं, हमारे यहां पर नियुक्ति की प्रक्रिया स्वतंत्र है। अमरीका की सुप्रीम कोर्ट वर्ष में 200 केसेज का निर्णय करती है, हमारी कोर्ट के पास प्रतिदिन की कॉज लिस्ट में 100 केसेज से अधिक प्रत्येक बैंच में लगते हैं। देश की सुप्रीम कोर्ट किसी के दवाब में कार्य नहीं करती वह स्वतंत्र है। अपनी बात को अमरीका की सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय से स्पष्ट करना चाहूंगा। अमरीका की सुप्रीम कोर्ट में 9 जज होते हैं, यह संख्या प्रारम्भ से आज तक यही है। वहां के 9 न्यायाधीशों की सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया वह सरकार को रूचिकर नहीं लगा। प्रेसीडेंट ने कोर्ट से कहा ''या तो आप अपने निर्णय को Reverse कर दें अन्यथा कोर्ट को ही बंद कर दूंगा''। निर्णय बदला गया और दूसरे दिन अखबार की हेडलाइन न्यूज थी''। ** A Stitch in Time Saved Nine**

हमारी कोर्ट्स को Judicial Review का अधिकार है, जो उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस एन.वी. रमना के अनुसार Constitutional Scheme का Integral Part है। जिसके द्वारा कार्यपालिका व विधायिका के आदेशों को न्यायिक रिव्यू का अधिकार है। यह कथन माननीय मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रमना के उस भाषण का भाग है जो उन्होंने जस्टिस एस.बी. सिन्हा मेमोरियल लेक्चर के अवसर पर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एण्ड रिसर्च इन लॉ, रांची में दिया था। जूडिशियरी का काम संविधान में यदि कहीं कमी है तो उस कमी को सेतु बनकर दूर करने का है जो पब्लिक की खुशहाली के हेतु आवश्यक है और यही जनता की सेवा है। जजों में चार बातें होना आवश्यक हैं – सुनवाई Courteously], उत्तर Wisely nsa] दें, केस को Soberly सुनें और Impartially निर्णय दें। उनकी जिम्मेदारी अहम् हैं। जजों का कार्य सेवा का है यह प्रोफेशन नहीं है अपितु Calling है। जज Litigant की आशा है, उनकी जिम्मेदारी गम्भीर है। हमारा न्यायिक सिस्टम अद्भुत है, न्यायाधीश कानून के अनुसार न्याय करता है, वह Court of Law है न कि Court of Justice है। हमारे न्यायाधीशों का Slave of Law कहा है, क्योंकि वे कानून के अनुसार न्याय करते हैं। अन्त:करण की अनुभूतियों से वे न्याय करने का प्रयत्न करते हैं। इन न्यायाधीशों में से किसी ने अपराधी को आजन्म कारावास की सजा दी है, किसी का मकान खाली कराया आदि। न्यायाधीश यह मानते हैं उन्होंने निष्पक्ष न्याय किया है विरुद्ध कुछ अपराधी यह मानते हैं कि उन्हें गलत रूप से सजा दी गई है। उनके साथ अप्रिय घटना हो सकती अत: न्यायाधीशों को सुरक्षा अपेक्षित है।

वर्तमान् समय में मीडिया ट्रायल हो रहा है, और ऐसी ट्रायल के केसेज में बढ़ोत्तरी हो रही है। फलस्वरूप इनके कारण सच कहीं खो गया है और केस पर विपरीत असर होता है। माननीय मुख्य न्यायाधीश रमना ने ऐसी कोर्टस् को कंगारू कोर्ट कहा है। यह प्रसंग इसलिये आवश्यक है कि जस्टिस रमना ने नूपुर शर्मा बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता के केस पर, दो जजों की प्रतिक्रिया पर अपनी टिप्पणी की है। वस्तुत: नूपुर शर्मा का केस था कि उसके विरुद्ध अनेक एफआईआर अलग-अलग स्थानों पर प्रस्तुत की गई हैं और प्रार्थना की थी कि सब केसों का दिल्ली ट्रान्सफर कर दिया जावे। सुनवाई के दौरान कई बातें दोनों पक्षों ने कहीं हैं और कोर्ट ने अपनी टिप्पणी की है। टिप्पणी क्या थी उसे उद्धत करना आवश्यक नहीं है वह विदित है। कोर्ट की फाइल पर इस प्रकार की टिप्पणी का कोई उल्लेख नहीं है। पिटीशनर ने केस वापिस ले लिया है। सक्षम न्यायालय में दायर करने की हिदायत दी है। माननीय न्यायाधीशों की मौखिक टिप्पणी पर प्रतिक्रियायें बतलाई गई हैं। यही विवाद का विषय है। कोर्ट से केस वापिस ले लिया गया है। यहां यह कहना उचित होगा कि कोर्ट की पत्रावली पर टिप्पणी का कोई उल्लेख नहीं है किन्तु मिडिया में इसका बहुत प्रचार हुआ है। भारत के प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमना ने कहा कि मौजूदा दौर से प्रिन्ट मीडिया तो काफी हद तक अपनी जिम्मेदारी निभाई है किन्तु इलेक्ट्रोनिक मीडिया पूरी तरह से गैर जिम्मेदार रहा है। सीजेआई ने कहा है कि सोशल मीडिया की स्थिति और भी बुरी है। माननीय सीजेआई का कहना है कि कई मीडिया संस्थान अपने एजेन्डा को आगे बढ़ाते हुये, कुछ मुद्दों पर कंगारू कोर्ट चला रहे हैं, इस कारण अनुभवी जजों को भी निर्णय करने पर कठिनाई हो रही है। न्यायाधीशगण अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे सकते, किन्तु मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट की धारणा है कि मीडिया को इसे जजों की कमजोरी नहीं समझना चाहिये। मीडिया द्वारा जजों के विरूद्ध सामूहिक आन्दोलन छेड़ रखा है। इन गतिविधियों से लोकतंत्र कमजोर होगा तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था को नुकसान होगा।

एंकर द्वारा आयोजित डिबेट अधिकतर राजनीतिक घटना चक्रों पर होती हैं। मीडिया ट्रायल में फौजदारी मामलों में शहादत पर और प्रक्रिया पर टीका टिप्पणी की जाती है। मीडिया ट्रायल में मीडिया को अधिकार नहीं है कि पक्ष व विपक्ष के गवाहों की साक्ष व पुलिस की जांच पर अपनी राय थोपे।

यहां हमें यह भी समझना चाहिये कि वस्तुत: मीडिया ट्रायल क्या है और एंकर द्वारा कई विरोधियों को एक मंच पर इकट्ठा कर कोर्ट से संबंधित विषय वस्तु पर चर्चा जहां एक व्यक्ति पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करता है। विषय को समझाने हेतु डिबेट आयोजित किया जाना अलग बात है। व्यक्ति की अभिव्यक्ति के अधिकार और प्रेस के अधिकार में कोई अधिक अन्तर नहीं है। हाँ प्रेक्टिस में अन्तर है। साधारण रूप से आदमी जहां नहीं पहुंच सकता वहां प्रेस की पहुंच है, उसे प्रेस गेलेरी का अधिकार है यह अधिकार इसलिये है कि मीडिया की भूमिका ट्रस्टी के रूप में है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएस ने मीडिया को 'सरोगेट ऑफ पब्लिक' कहा है। मीडिया डिबेट, मीडिया ट्रायल से भिन्न है। प्रेस को यह अधिकार है कि वह प्रक्रिया के औचित्य के मापदण्ड से सही व सत्यता के साथ अपने संतुलन के साथ प्रकाशित करे। मीडिया डिबेट में विषय वस्तु के महत्वपूर्ण पक्षों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जानकारी दी जाती है। इन पर कुछ बंधन भी हैं। एंकर द्वारा आयोजित डिबेट अधिकतर राजनीतिक घटना चक्रों पर होती हैं। मीडिया ट्रायल में फौजदारी मामलों में शहादत पर और प्रक्रिया पर टीका टिप्पणी की जाती है। मीडिया ट्रायल में मीडिया को अधिकार नहीं है कि पक्ष व विपक्ष के गवाहों की साक्ष व पुलिस की जांच पर अपनी राय थोपे।

अब प्रश्न यह उठता है कि न्यायालय में बहस के समय कोर्ट के जो कमेन्ट होते हैं, क्या वे प्रकाशित किये जा सकते हैं, क्या उन्हें आदेश अथवा निर्णय कहा जा सकता है, क्या ऐसे कमेन्ट्स पर अवमानना की कार्यवाही की जा सकती है। कन्टेम्प्ट की कार्यवाही लिखित शिकायत पर होती है।

संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को 'अभिलेख न्यायालय' (Court of Record) कहा गया है और उसे अपनी अवमानना के हेतु उचित कार्यवाही करने का अधिकार है। अनुच्छेद 129 के अतिरिक्त अनुच्छेद 141 व 142 भी बहुत महत्व के हैं। सुप्रीम कोर्ट की खण्डपीठ के न्यायाधीश पारदीवाला ने जो कमेन्ट किये थे वे रेकार्ड में नहीं हैं तथा बाद में भी उन्होंने स्पष्ट संकेत दिया था कि मीडिया को नियंत्रित करने के हेतु कानून बनाया जाना चाहिये। सीजेआई इसी बात को अपने भाषण में कहा है कि मीडिया को स्वयं अपने आपको सुधारना होगा अन्यथा ध्यान में रहे सरकार अथवा कोर्ट इस संबंध कानून बना सकते हैं। अनुच्छेद 141 घोषणा करता है कि सुप्रीम कोर्ट, जो अभिलेख न्यायालय है, के द्वारा घोषित विधि राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालय पर आबद्धकर होगी। अनुच्छेद 142 में यह स्पष्ट किया है कि उच्चतम न्यायालय की डिक्री और आदेश जो कोर्ट ने पारित किये हैं उनका प्रवर्तन होगा। अनुच्छेद 129, 141 व 142 से यह बतलाया गया कि उच्चतम न्यायालय के आदेश लिखित में होंगे। इन प्रावधानों से यह अर्थ निकतला है कि चूंकि कोर्ट के रेकार्ड पर कोई आदेश नहीं है जो नूपुर शर्मा को किसी अपराध से जोड़ता है। आदेश केवल यह है कि पिटीशनर ने अपनी पिटीशन को विद्ड्रो किया है और सक्षम न्यायालय में उसे जो प्रार्थना अपेक्षित है वह कर सकता है।

उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमना ने जो अपने भाषण में प्रश्न उठाये हैं, उन पर चिन्तन व मनन आवश्यक है और देश के नागरिकों का पावन कर्त्तव्य है कि वे मिल-जुलकर भारत को विकासशील, शान्ति प्रिय व सम्पन्न राष्ट्र बनायें। इसके अतिरिक्त मीडिया ट्रायल जहां कोर्ट में केस चल रहा है नहीं होना चाहिये तथा मीडिया को अपनी सीमा में रहकर डिबेट की विषय वस्तु के गुण दोष पर ही प्रतिक्रिया करना चाहिये ताकि जनता को समस्या की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

मुख्य न्यायाधीश ने जनता से अपील की कि हमें Vibrant Democracy चाहिये और इसके लिये जूडिशियरी को शक्तिशाली बनाना होगा। वर्तमान में सोसायटी को जूडिशियरी से बहुत अपेक्षायें हैं। कोर्ट्स की भूमिका केवल मुकदमों को निपटाने मात्र की नहीं है अपितु जनता न्यायपालिका से अपेक्षा करती है कि जीवन का रास्ता प्रशस्त करने के हेतु प्रत्येक चरण में न्यायालय से सहयोग मिले। न्यायाधीशों का संबंध सोसायटी से होना चाहिये साथ ही सोसायटी की वास्तविकता को भी समझना चाहिये। सीजेआई ने कहा हमें जूडिशियरी को शक्तिशाली बनाना है ताकि हमारा लोकतंत्र भी मजबूत हो।

समय की पुकार है कि मीडिया ट्रायल तथा मीडिया डिबेट जो इलेक्ट्रोनिक मीडिया संचालित करते हैं, उन्हें नियंत्रित करने के हेतु कानून बनाया जाना आवश्यक है। उचित तो यह होगा कि मीडिया ट्रायल ही बंद हो।

सत्यमेव जयते!

–अतिथि सम्पादक,
पानाचन्द जैन
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

अत्यंत मजबूत, चौड़ी एवं ऊंची अभेद्य दीवारों से रक्षित चूरू का किला

पन्नालाल मेघवाल

- **बीकानेर से युद्ध में गोला-बारूद समाप्त हो जाने पर अपनी आजादी की रक्षा के लिए दुश्मन की सेना पर चांदी के गोले दागे गए**

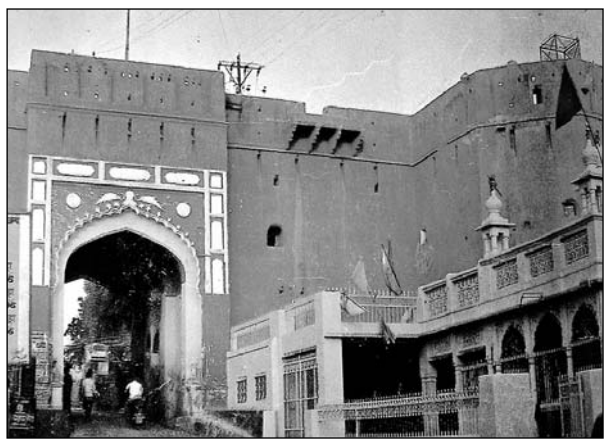

चूरू किले का निर्माण चूरू के ठाकुर कुशलसिंह ने सन् 1694 में करवाया। उन्होंने नगरवासियों को सुरक्षा प्रदान करने एवं आत्मरक्षा के उद्देश्य से इस किले का निर्माण कराया। किले का निर्माण होते ही लोगों का कुशलसिंह में विश्वास बढ़ा और बड़ी संख्या में लोग आकर चूरू में बसने लगे। कहा जाता है कि किला बन जाने से नगर के विकास एवं व्यापार का मार्ग प्रशस्त हुआ और चूरु तरक्की करने लगा।

चूरू के मुख्य बाजार में स्थित इस किले का परकोटा बहुत मजबूत बना है। यह किला नौ बुर्जों में विभक्त है। किले का सिंहद्वार पश्चिमाभिमुख है। किले की दीवारें अत्यंत मजबूत, चौड़ी और ऊंची हैं। सिंहद्वार के दरवाजे लोहे की मोटी सलाखों से जुड़े हैं। किले के दरवाजे में प्रवेश से पहले एक पक्का खुर्रा बना है। किले की प्राचीर में अनेकों सुराख हैं जहां से शत्रुओं पर बंदूकें दागी जाती थी। सिंहद्वार के दक्षिण के एक बुर्ज में सन् 1870 ईस्वी का एक पट्ट लगा है। किले के एक भाग में मेहता मेघराज की देवली, एक पुराना कुआं और गोपीनाथ जी का भव्य मंदिर है।

चूरु के किले में ठाकुर शिवसिंह द्वारा बनाया गया भव्य गोपीनाथ का मंदिर है। इस मंदिर में राधा-कृष्ण के साथ-साथ शिव-पार्वती गणेश-कार्तिकेय, हनुमानजी एवं दुर्गा की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। किले में भगवानदास बावला ने सन् 1895 में एक अस्पताल बनवाया था जिसमें दो मंजिले वार्ड थे। कालांतर में इसे एक डिस्पेंसरी के रूप में परिवर्तित कर दिया।

किले के दक्षिणी-पूर्वी भाग में ठाकुरों के महल और कचहरी थी। चूरू का तहसील मुख्यालय भी वर्षों तक यहां रहा। नगरपालिका का कार्यालय भी अनेक वर्षों तक यहीं से संचालित हुआ। यहां पर एक बालिका विद्यालय संचालित है। बालिका स्कूल के पास ही जेल और प्रहरियों के क्वार्टर बने थे उन्हें अन्यत्र स्थानांतरित किया गया है। किले के दक्षिण में बने एक भवन में वर्षों स्वास्थ्य विभाग का दफ्तर रहा। बाद में दूरदर्शन रिले केंद्र भी स्थापित हुआ। इस भवन में मातृ शिशु कल्याण केंद्र संचालित रहा। किले के पुराने कुएं से किले और आस-पास के लोगों की जलापूर्ति की जाती है।

इतिहासकार गोविंद अग्रवाल द्वारा लिखित चूरू मंडल का शोधपूर्ण इतिहास के अनुसार किले पर अनेक बार तोपों के गोलों की वर्षा हुई लेकिन इस किले की दीवारें इतनी सुदृढ़ थी कि तोपों के गोले भी इसकी दीवारों को भेद नहीं पाए।

ठाकुर कुशलसिंह के वंशज ठाकुर शिवसिंह शूरवीर और स्वाभिमानी थे। बीकानेर के महाराजा सूरतसिंह से उनकी कभी नहीं बनी। महाराजा सूरतसिंह ठाकुर शिवसिंह से नाराज रहते थे। उन्होंने शिवसिंह को सबक सिखाने एवं किला अपने अधीन करने के लिए अनेक बार चूरू पर आक्रमण किए। सन् 1814 में बीकानेर नरेश ने अमरचंद सुराणा को भारी सैन्य बल के साथ चूरू पर आक्रमण के लिए भेजा। बीकानेर की सेना ने चूरू के किले को चारों तरफ से घेर लिया। दोनों तरफ से तोपें दागी गई। ऐसे में ठाकुर शिवसिंह के पास गोला-बारूद खत्म हो गया।

यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि जब गोला-बारूद समाप्त हो गया तो अपनी आजादी की रक्षा के लिए चूरू के इस किले से दुश्मन की सेना पर चांदी के गोले दागे गए। चूरू के लोगों द्वारा दी गई चांदी से गोले बनाए गए थे। विश्व के इतिहास में अपनी आजादी की रक्षा के लिए चांदी के गोले बनाकर तोपों से दागने की ऐतिहासिक घटना स्वर्णाक्षरों में अंकित की गई। इसी कारण चूरू के किले का नाम अमर हो गया।

आजादी के बाद धीरे-धीरे किले की स्थिति जर्जर हो गई। राज्य सरकार ने इस किले का जीर्णोद्धार करवाकर इसका सौन्दर्यीकरण किया जिससे यह किला पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।

– पन्नालाल मेघवाल,
वरिष्ठ लेखक एवं स्वतंत्र पत्रकार।

मुस्लिम समाज ने किया कावड़ियों का स्वागत

सुजानगढ़ में कावड़ियों का स्वागत करते हुए मुस्लिम समाज के लोग।

सुजानगढ़, (नि.सं) करीब 6 सौ किलोमीटर दूर हरिद्वार से कावड़ लेकर आए कावड़ियों का कादरी मार्केट में मुस्लिम समाज के पार्षदों एवं युवाओं द्वारा माला पहना कर स्वागत किया गया। कावडियों के पहुंचने पर युवाओं ने भगवान भोलेनाथ के जयघोष से आसमान को गुंजायमान कर दिया। कावडियों ने अपनी कावड़ पर तिरंगा लगा रखा था।

पार्षद प्रतिनिधि प्रेमप्रकाश स्वामी ने बताया कि वार्ड के सुरेंद्र प्रजापत, छोटू प्रजापत, भीष्म पारीक हरिद्वार से कावड़ में गंगाजल लेकर आये हैं, जो भूतनाथ मंदिर, प्रजापति मंदिर व गोपीनाथ मन्दिर में शिवलिंग पर चढ़ाया गया है। मुस्लिम समाज के युवाओं ने कावड़ियों पर पुष्प वर्षा से स्वागत कर गंगा जमुनी तहजीब का उदाहरण प्रस्तुत किया। इस दौरान शहर काजी मोहम्मद अकरम रिजवी, मेनूदीन खान, साबिर खान कादरी, इलियास खान कादरी, अमजद खान, पार्षद आसिफ चौहान, इस्माईल खान, आसिफ खान नसवाण, ओमप्रकाश खीचड, परमेश्वर शर्मा, असलम, अफजल, इस्लाम, अरमान, अरबाज, कुलदीप सिंह, नन्दूसिंह, प्रेम प्रकाश स्वामी, हसन खान, जावेद तेली सहित अनेक नगरवासियों ने कावड़ यात्रियों का माला पहना कर स्वागत किया।

शनि महाराज के भंडार से निकले 16 लाख 46 हजार रुपए

कपासन के शनि महाराज आली के भंडार में नोटों की गिनती करते कमेटी के लोग।

कपासन, (नि.सं.)। मेवाड़ के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री शनि महाराज आली के भंडार से 16 लाख 46 हजार 399 रुपए की राशि निकली। अमावस्या से 1 दिन पहले मंदिर का ताला खोला गया तीर्थ स्थल शनि महाराज आली प्रबंध कार्यकारिणी कमेटी के सचिव कालू सिंह ने बताया कमेटी अध्यक्ष छगनलाल गुर्जर उपाध्यक्ष सत्यनारायण जाट, संरक्षक नरेंद्र पाल सिंह सहित आदि सदस्यों की मौजूदगी में भंडार खोले गए। बुधवार सुबह आरती के बाद सभी भंडार खोले गए। जिसमें मुख्य मंदिर नवठाह मंदिर तेल कुंड आदि के भंडार खोलकर भेंट राशि निकाली गई। इसके बाद मंदिर परिसर में ही उनकी गिनती का कार्य शुरू किया गया। जिसमें कुल 16 लाख 46 हजार 399 रुपए की राशि मिली। इस दौरान सदस्य पवन सांखला, देवीलाल गाडरी, संजय कुमार शर्मा, गोपाल लाल सुथार, रतन लाल सुथार, भेरू लाल गाडरी, भगवान लाल गाडरी, मांगीलाल कीर, कालू लाल कीर, गोपाल कृष्ण शर्मा, देवी सिंह चारण, भेरूलाल लोहार, नारायण लाल लोधा सहित आदि सदस्यों ने राशि की गिनती की।

आर्थिक संकट से जूझ रहे रामलाल के परिवार को विधायक ने सौंपा 25 हजार का चैक

पीड़ित को सहायता राशि का चेक सौंपते विधायक मनोज मेघवाल।

- **सीएम गहलोत ने जिला प्रशासन को पीड़ित परिवार की हरसंभव मदद करने के निर्देश दिएलगाया**

बीदासर, (निसं)। कस्बे के वार्ड 19 निवासी रामलाल नायक की गत 7 वर्षों से गंभीर बीमारी के कारण आर्थिक संकट से जुझ रहे उनके परिवार की सहायतार्थ मुख्यमंत्री सहायता कोष से 25 हजार का चेक विधायक ने रामलाल की पत्नी को सौपकर हर सम्भव मदद का आश्वासन दिया। रामलाल के परिवार को खानेपीने तक के टोटे पड रहे थे।

सूचना पर सीएम गहलोत ने जिला प्रशासन को पीड़ित परिवार की हरसंभव मदद करने के निर्देश दिए। जिस पर गुरुवार की देर शाम सुजानगढ विधायक मनोज मेघवाल और स्थानीय प्रशासन पीड़ित परिवार के घर पहुंचा। इस दौरान उपस्थित नागरिकों और जनप्रतिनिधियों ने भी नगद राशि इकट्ठा कर पीड़ित परिवार की मदद की। कांग्रेस कार्यकर्ता सलीम बल्खी ने रामलाल के दो मकानों की रिपेयरिंग और दरवाजे तथा खिडकियां लगाने की घोषणा की। दूसरी ओर स्थानीय प्रशासन ने भीपीड़ित परिवार को चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, खाद्य सुरक्षा योजना सहित अन्य कई सरकारी योजनाओं से जोड़ा। पीड़ित परिवार को इंदिरा रसोई से दो वक्त के खाने की व्यवस्था को लेकर एसडीएम श्योराम वर्मा ने ईओ हिमांशु अग्रवाल को निर्देश दिए। इस मौके पर तहसीलदार द्वारकाप्रसाद शर्मा, नायब तहसीलदार सुभाष छींपा, बीडीओ हंसराज मीणा, सामाजिक न्याय अधिकारी राजेंद्र स्वामी, पालिका उपाध्यक्ष मेराज उल हसन छींपा, कांठोस नगर अध्यक्ष जेठाराम यादव, नेता प्रतिपक्ष गोपाल गुर्जर, पार्षद महेंद्र माली, मेघराज सांखला, खालिद बल्खी, जवाहरसिंह राठौड, पुसाराम चौहान, रामपाल पांडिया, रामनिवास माली, गोविंद सोनी, सलीम बल्खी, यूनूस बिसायती, हनुमानमल गुसाईंवाल, ल्याकत कूरैशी आदि मौजूद थे।

राशिफल

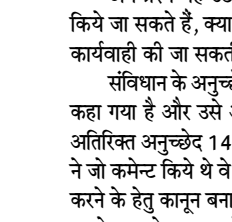

पंडित अनिल शर्मा

शुक्रवार 29 जुलाई, 2022

सावन मास, कृष्ण पक्ष, प्रतिपदा तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत 2079, पुष्य नक्षत्र प्रात: 9:47 तक, सिद्धि योग सांय 6:35 तक, किस्तुघ्न करण दिन 12:23 तक, चन्द्रमा कर्क राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-कर्क, चन्द्रमा-कर्क, मंगल-मेष, बुध-कर्क, गुरू-मीन, शुक्र-मिथुन, शनि-मकर, राहु-मेष, केतु-तुला राशि में।

आज बुध उदय पश्चिम में प्रात: 6:47 पर होगा। आज से नक्त व्रत आरम्भ होगा। आज जीवंतिका पूजन है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 7:33 तक, लाभ-अमृत 7:33 से 10:53 तक, शुभ 12:33 से 2:13 तक, चर 5:33 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 5:53, सूर्यास्त 7:13

मेष
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नौकरीपेशा व्यक्तियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी।

वृष
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिचितों और रिश्तेदारों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मिथुन
व्यावसायिक कार्यों से संबंधित प्रतिष्ठित व्यक्तियों से सम्पर्क बनेंगे। व्यावसायिक कार्य से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है। अटका हुआ धन प्राप्त होगा।

कर्क
व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी और महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। धार्मिक स्थान की यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है।

सिंह
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। घर-परिवार के कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। मन में असंतोष बना रहेगा। अनर्गल कार्यों में समय खराब हो सकता है।

कन्या
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं।

तुला
व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक अड़चनें दूर होने लगेंगी। व्यावसायिक कार्य सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा।

वृश्चिक
धार्मिक-मांगलिक कार्यों में भाग लेने का अवसर मिलेगा। धार्मिक स्थान की यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे।

धनु
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। परिजनों के व्यवहार के कारण अपमानित होना पड़ सकता है।

मकर
घर-परिवार में मांगलिक-पारिवारिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कुंभ
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। व्यावसायिक कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है।

मीन
परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। व्यावसायिक/पारिवारिक स्थिति ठीक रहेगी।